

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली 2011 के नियम-17 के उपनियम (5) के अन्तर्गत

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक-मान्यता-आर0टी0ई0 /
सेवा में,

5400-8403

/अंग्रेजी-मा0नवीनीकरण/2020-21 दिनांक-25/11/2021

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक

जस गोविन पब्लिक स्कूल, देवलचौड खाम,
हल्द्वानी, नैनीताल।

कोड संख्या-52

विषय-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम-17 के उप नियम
(5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक-430-32/अंग्रेजी माध्यम मान्यता नवीनीकरण /2017-18
दिनांक-18.07.2017 द्वारा आपके विद्यालय को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु मान्यता
नवीनीकरण स्वीकृति प्रख्यापित शासनादेशों में उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी। आपके
स्वधोषणा सह आवेदन पत्र दिनांक शून्य एवं खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी
निरीक्षण आख्या व संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय, जस गोविन पब्लिक स्कूल, देवलचौड
खाम, हल्द्वानी, को कक्षा 1 से कक्षा 8 हेतु शैक्षणिक तक विद्यालय संचालन हेतु 2020-21 से आगामी पांच
वर्ष दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मान्यता की शर्तें इस कार्यालय के पत्रांक-430-36 /अंग्रेजी
माध्यम नवीनीकरण/2017-18 दिनांक 18.07.2017 द्वारा दी गयी औपबन्धिक मान्यता के अधीन एवं
परिशिष्ट-4 के रूप में रहेंगी।

01. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

02. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क
एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से
सुनिश्चित करेगा।

03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों
नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं शिक्षा से वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा
उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि
यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मान का अनुपालन
पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

04. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में
निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए
विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।

05. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैम्पेन/शुल्क प्राप्त
नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का
साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।

Manager
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)

Principal
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)

Manager
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)

Principal
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)

(02)

06.विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म,जाति,जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

07.विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे-

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे की किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(दो) किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।

(आठ) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गति विधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

08.विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

09.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख के अनुसार वर्ष 2019-20 से आगामी वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगा।

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल | 4100 वर्ग मीटर |
| • कुल निर्मित क्षेत्र | 2400 वर्ग मीटर |
| • खेल का मैदान | है। |
| • कक्षा-कक्षाओं की कुल संख्या | 24 |
| • प्रधानाध्यापक कक्षा सह भण्डार | 02 |
| • शौचालय बालक/बालिका | है। |
| • पेयजल सुविधा | है। |


Manager
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)



4100 वर्ग मीटर

2400 वर्ग मीटर


है।


24

02

है।

है।


Principal
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)


Usha Rajwar
Principal
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)


पृ०सं०- नान्यता-आर०टी०ई० / 5900-5903 (04) / अंग्रेजी-मा०मधीनीकरण / 2020-21 दिनांक तददिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नांकित का सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. मण्डलीय अपर निदेशक, मा० / प्रा०शि०, कुमार्ज मण्डल, नैनीताल।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
04. संबंधित खण्ड / उच्च शिक्षा अधिकारी।
05. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल


Manager
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)


Manager
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)


Principal
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)


Usha Rajwar
Principal
Jas govin Public School
Haldwani (Nainital)